



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-26072021-228459
CG-DL-W-26072021-228459

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 12] नई दिल्ली, जुलाई 18— जुलाई 24, 2021, शनिवार/ आषाढ़ 27 — श्रावण 2, 1943
No. 12] NEW DELHI, JULY 18— JULY 24, 2021, SATURDAY/ASHADHA 27 — SRAVANA 2, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4 PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2021

का.नि. आ. 26.—केंद्रीय सरकार नौसेना अधिनियम 1957 (1957 का 62) की धारा 184 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नौसेना आनुष्ठानिक, सेवा-शर्तें और प्रकीर्ण नियम 1963 संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और आरंभ.- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम नौसेना आनुष्ठानिक, सेवा-शर्तें और प्रकीर्ण (संशोधन) विनियम 2021 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रदत्त होंगे।
- नौसेना आनुष्ठानिक, सेवा-शर्तें और प्रकीर्ण विनियम, 1963 में, अध्याय 12 में खंड 8 के स्थान पर निम्नलिखित खंड द्वारा रखा जाएगा:-

खंड 8

सभी शाखाओं के सभी नौसैनिकों को साधारण सूची में स्थायी कमीशन प्रदान करना

289. 1. **उद्देश्य.**- इस स्कीम का उद्देश्य नौसेना की सभी शाखाओं में से सुपात्र नौसैनिकों का चयन करना और उन्हें पूर्ण रूप से समुचित सेवाकालीन प्रशिक्षण होगा ताकि वे अन्य स्कीमों से प्रवेशकों के समान पूर्णतः साधारण सूची आफिसर बन सकें। इस स्कीम को 'कमीशन वरदी स्कीम' के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

2. **पात्रता.**- इस स्कीम के अंतर्गत सभी शाखाओं के नौसैनिक पात्र होंगे बशर्ते वे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों, अर्थात:-

(क) **आयु-सीमा.**-सभी नौसैनिकों की आयु पाठ्यक्रम आरंभ होने वाले वर्ष की पहली जनवरी को बाईस वर्ष और छः माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। नौसेनाध्यक्ष के विवेकाधिकार पर आयु सीमा में एक वर्ष तक की शिथिल दी जा सकती है।

(ख) **शैक्षणिक अर्हता.**- किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिकी और गणित विषय के साथ न्यूनतम 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

(ग) **सेवा.**-नौसेना में चयनित सभी नौसैनिकों पर चिल्का में अपने मूल प्रशिक्षण तथा जल पर उपांग पूरा करने के पश्चात् 'कमीशन वरदी स्कीम' के लिए पात्र होंगे।

(घ) **वैवाहिक प्रस्थिति और आवास.**- विवाहित नौसैनिकों को ले रहे प्रशिक्षण के दौरान न तो विवाहित आवास प्रदान किया जाएगा और न ही उन्हें कुटुम्बों के साथ रहने की अनुज्ञा दी जाएगी। वो जो विवाहित नहीं है, विवाह के लिए अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जब तक उप-लेफ्टिनेंटों को संपुष्ट हो जाते हैं।

(च) **चिकित्सा मानक.**- नौसैनिक की चिकित्सा प्रवर्ग S1A1 होनी चाहिए। अस्थायी रूप से निम्न चिकित्सा प्रवर्ग में आने वाले नौसैनिक भी आवेदन कर सकेंगे किंतु उनके मामले में एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) द्वारा गुणागुण के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

3. **चयन.**-(क) **आवेदन.**- जो अभ्यर्थी कमीशन के लिए इस स्कीम के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, वे नौसेनाध्यक्ष द्वारा विहित प्ररूप में कमान आफिसरो के माध्यम से आवेदन करेगा।

(ख) **प्रारंभिक छानबीन.**- कमानों में अभ्यर्थियों की छानबीन के लिए आफिसरो के बोर्ड का गठन किया जाएगा। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि उनमें लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने की युक्तियुक्त मौका है और वे सेवा चयन बोर्ड में सफल हो जाएंगे। एक नौसैनिक को पूरी सेवा के दौरान छानबीन बोर्ड के समक्ष केवल तीन बार ही प्रस्तुत होने की अनुज्ञा है। नौसैनिक पिछली स्कीम के तहत प्रारंभिक चयन बोर्ड के सामने जितनी बार उपस्थित हुआ था उसकी गणना कुल बारी में कर ली जाएगी।

(ग) **लिखित परीक्षा.**- जो नौसैनिक 'प्रारंभिक छानबीन' में सफल हो जाते हैं उन्हें लिखित परीक्षा में भाग लेने की अनुज्ञा दी जाएगी।

(घ) **सेवा चयन बोर्ड.**- लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थी को सेवा चयन बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना होगा।

(च) **चिकित्सा बोर्ड.**- जो अभ्यर्थी सेवा चयन बोर्ड में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उन्हें चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना अपेक्षित होगा।

(छ) **अंतिम चयन.**-सफल अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक होने की स्थिति में अंतिम चयन योग्यता की सूची के आधार पर किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों का नाम योग्यता सूची में नहीं आ सका है, उन्हें लिखित परीक्षा से प्रारंभ कर अन्य सभी प्रकार की चयन प्रक्रिया में फिर से भाग लेना होगा।

4. **शाखा आबंटन.**- 'कमीशन वरदी स्कीम' के अंतर्गत चयनित सभी नौसैनिकों को उनकी अभिरुचि तथा सेवा की आवश्यकता के अनुसार शाखाओं का आबंटन किया जाएगा।

5. **प्रशिक्षण और प्रोन्नति.**- (क) 'कमीशन वरदी स्कीम' के तहत चयनित सभी अभ्यर्थियों को कैडेट के रूप में अभिहित किया जाएगा और वे भारतीय नौसेना अकादमी एजीमला में चार वर्षीय बी.टेक पाठ्यक्रम करेंगे। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर इन कैडेटों को नियमित भारतीय नौसेना अकादमी पाठ्यक्रम के समतुल्य उप-लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन प्राप्त किया जाएगा।

(ख) **पदावनति.**-एकैडेमिक्स, बाह्य प्रशिक्षण, आचरण तथा अनुशासन की निर्धारित सीमाओं के अंदर प्रशिक्षण न लेने के कारण तथा अन्य किसी मानदंड के कारण पदावनति के जो मानक नियम भारतीय नौसेना अकादमी, एजीमाला पर कैडेटों तथा मिडशिपमैन और पोतों और अनुप्रवाह प्रशिक्षण स्थापनाओं के उप-लेफ्टिनेंट पर लागू होते हैं, वे कमीशन वरदी प्रवेश से अभ्यर्थियों पर भी लागू होंगे।

(ग) **प्रत्याहरण.**-ऐसा प्रशिक्षणार्थी जिसका पर्याप्त प्रगति अच्छी न रही हो उसे एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) के अनुमोदन से प्रशिक्षण से वापस किया जा सकता है। प्रशिक्षण के दौरान यदि किसी प्रशिक्षु को प्रशिक्षण के दौरान कैडेट के रूप में वापस किया जाता है तो उसे नौसैनिक के रूप में उसके मूल रैंक तथा शाखा में प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा और सभी

प्रयोजनों के लिए उसकी ज्येष्ठता में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। यदि मिडशिपमैन की प्रोन्नति के बाद उसे वापस किया जाता है, उसे सेवा से उन्मोचित कर दिया जाएगा।

[फा. सं. आर पि/2201]

डी प्रवीण, निदेशक (नौसेना I)

टिप्पण:- मूल विनियम को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 4 की अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 22(अ), तारीख 19 फरवरी, 1964 के द्वारा प्रकाशित किया गया था तथा इसे अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 271, तारीख 09 सितंबर, 1969 के द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 30th March, 2021

S.R.O. 26.—In exercise of the powers conferred by section 184 of the Navy Act, 1957 (62 of 1957), the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Naval Ceremonial, Conditions of Service and Miscellaneous Regulations, 1963, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These regulations may be called the Naval Ceremonial, Conditions of the Service and Miscellaneous (Amendment) Regulations, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Naval Ceremonial, Conditions of the Service and Miscellaneous Regulations, 1963, in Chapter XII, for section VIII, the following section shall be substituted, namely:—

“Section VIII

Grant of Permanent Commission in the General list to all Sailors of all Branches

289. 1. Aim.— The aim of this scheme shall be to select deserving sailors from amongst all the branches of the Navy and to give them appropriate in-service training fully as to make them general list officers fully at par with entrants through other schemes. The scheme shall be designated as Commission Worthy scheme.

2. Eligibility.— Sailors of all branches shall be eligible under Commission Worthy scheme, provided they fulfill the following conditions, namely:-

(a) **Age-limit.**— All sailors shall be under twenty two years and six months of age on the first January of the year in which the course commences. Age-limit can be relaxed upto one year at the discretion of the Chief of the Naval Staff.

(b) **Educational qualification.**— The minimum educational qualification shall be class 12 pass with Physics and Mathematics from recognised Board.

(c) **Service.**— All sailors selected in the Navy are eligible for Commission Worthy scheme after completion of basic training at Chilka and afloat attachment.

(d) **Marital status and accommodation.**— Sailors who are married shall not be provided married accommodation nor allowed to live with their families while undergoing training. Those who are not married shall not be permitted to marry till they become confirmed Sub-Lieutenants.

(e) **Medical standards.**— A sailor should be in S1A1 medical category. Those in temporary lower medical category shall also be eligible to apply, but their cases shall be decided on merits by Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy).

3. Selection.— (a) **Application.**— Candidates wishing to apply for commission under this scheme shall apply, on the form prescribed by the Chief of the Naval Staff, through their Commanding officers.

(b) **Preliminary screening.**— Boards of officers shall be constituted in commands to screen the applicants and ensure that they have a reasonable chance of qualifying in the written examination and pass the Services Selection Board. A sailor shall be permitted to appear before the screening Board only three times during his entire service. The number of times a sailor has appeared before the Preliminary Selection Board under the earlier scheme shall also be counted against this total.

- (c) **Written examination.**— Sailors who pass the ‘preliminary screening’ shall be permitted to appear in the written examination.
- (d) **Services Selection Board.**— Candidates declared successful in the written examination shall be required to appear before the Services Selection Board.
- (e) **Medical Board.**— Candidates who qualify in the Services Selection Board shall be required to appear before a Medical Board.
- (f) **Final selection.**— Final selection shall be made on the basis of a merit list in case there are more successful candidates than number of vacancies. Those who fail to make the merit list shall have to undergo the selection process again starting with the written examination.
4. **Branch Allocation.**— All sailors selected under the Commission Worthy scheme shall be allotted branches depending upon the requirement of the service and aptitude of the individual.
5. **Training and promotion.**— (a) All candidates selected under the Commission Worthy scheme will be designated as Cadets and will undergo the four year B.Tech. course at Indian Naval Academy, Ezhimala. On completion of successful training, Cadets will be commissioned as Sub-Lieutenants at par with regular Indian Naval Academy Course.
- (b) **Relegation.**— Relegation for performance that is inadequate, with respect to the standards laid down for academics, outdoor training, conduct and discipline as well as for loss of training beyond laid down limits and other criteria applicable to Cadets and Midshipmen at Indian Naval Academy, Ezhimala and Sub-Lieutenants on board training ships and in downstream training establishments, will also be applicable to Commission Worthy entry candidates.
- (c) **Withdrawal.**— A trainee who fails to make adequate progress may be withdrawn from training with the approval of Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy). If a trainee is withdrawn while under training as a Cadet, he shall be reverted to his original rank and branch as sailor without loss of seniority for all purpose. If he is withdrawn after being promoted to Midshipmen, he shall be discharged from the service”.

[F.No. RP/2201]

D PRAVEEN, Director (Navy I)

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 4, vide notification number S.R.O. 22(E), dated the 19th February, 1964 and last amended vide notification number S.R.O. 271, dated the 9th September, 1969.